राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJBIL/2000/1717
J. P. C./3588/02/2003-05
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

भाद्र 6, गुरुवार, शाके 1925—अगस्त 28, 2003
Bhadra 6, Wednesday, Saka 1925—August 28, 2003

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

पशुपालन विभाग

आदेश

जयपुर, अगस्त 22, 2003

एस. ओ. 227.- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सरकार के पशुपालन निदेशालय द्वारा जारी किये गये या किसी मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा संस्था द्वारा जारी और पशुपालन निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पशु चिकित्सा पर्यवेक्षक, पशुपालन या पशु सहायक (चाहे उसका जो भी नाम हो) का डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र धारण करने वाले पशु चिकित्सा और पशुधन सहायकों को किसी रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षण और निदेशन के अधीन ''लघु पशु चिकित्सा सेवा'' करने की अनुज्ञा इसके द्वारा प्रदान करती है।

[संख्या प. 2 (5)पपा/2003]

राज्यपाल के आदेश से,

फतेह सिंह चारण,

प्रमुख शासन सचिव।

पशुपालन, मतस्य एवं डेयरी विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

ORDER

Jaipur, August 22, 2003

S. O 227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the State Government hereby permit the veterinary & livestock assistants, holding a diploma or certificate of veterinary supervisor, stockman or stock assistants (by whatever name called) issued by the Directorate of Animal Husbandry of Government of Rajasthan or issued by the recognised veterinary institution and counter signed by the Director of Animal husbandry to render the "minor veterinary services" under the supervision and direction of a registered veterinary practitioner.

[No. 2 (5) AH/2003]

By Order of the Governor,

फतेह सिंह चारण,

Principal Secretary to the Government.

पशु पालन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 22, 2003

एस. ओ. 228.- भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 30 के खण्ड (ख) के परन्तुक के स्पष्टीकरण के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित प्रारम्भिक पशु चिकित्सा सहायता को ''लघु पशु-चिकित्सा सेवाओं'' के रूप में इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

1. पशुओं का ताप लेना;
2. प्रारम्भिक पशु-चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना और ज्वर और दर्द की दशा में दर्द निवारक और ज्वरनाशी देना;

3. कृत्रिम गर्भाधान करना;
4. पशुओं को टीका लगाना;
5. घावों की मरहम-पट्टी करना;
6. बधियाकार द्वारा नर पशु को बधिया करना;
7. सैम्पलों का संग्रहण करना;
8. बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए पशुओं पर छिड़काव करना ।

[संख्या प. 2(5)पपा/2003]

राज्यपाल के आदेश से,

फतेह सिंह चारण,

प्रमुख शासन सचिव ।

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 22, 2003

S. O 228.—In exercise of the powers conferred under the Explanation of the proviso to clause (b) of section 30 of the Indian Veterinary Council Act, 1984, the State Government hereby specify the following preliminary veterinary aid as the "minor veterinary services" for the purpose of the said section; namely:—

1. to take temperature of animals;
2. to provide preliminary veterinary aid and give analgesic & antipyretic in case of fever & pain;
3. to Perform the artificial insemination;
4. to vaccinate animal;
5. dressing of wounds;

6. castration of male animal by castrator;

7. collection of samples;

8. spray of animals for control of ectoparasites;

[No. 2 (5) AH/2003]

By Order of the Governor,

फतेह सिंह चारण,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.